

**URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED**  
**JADUGUDA**

No. UCIL/DGM (P& IRs)/GEN/2026

April 15, 2026

**CIRCULAR**

**Sub : Strict Prohibition on unauthorized disclosure of sensitive/classified information**

It has been observed in respect times that certain sensitive and classified information pertaining to the Company, understood to be sourced from employees, is being disseminated through local media and widely circulated on social media platforms. Such actions constitute a gross violation of the provisions contained in Clause No. 39 of SHANTI Act, 2025 and pose a potential threat to the national security.

All employees are hereby strictly directed to refrain from sharing any sensitive or classified information with any external individual or entity under any circumstances. Any breach of this directive will invite severe disciplinary action against the concerned employee as per the provisions of CDA Rule and standing order of the Company.

  
(Rakesh Kumar)

Dy.General Manager (Pers. & IRs)

**Distribution :**

Admin. Officer, O/o C&MD  
PA to Director (Finance)  
Store Officer to Director (Tech.)

All Notice Boards

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
जादुगोड़ा।

संख्या: यूसिल/डी.जी.एम.(पी. एवं आई.आर.एस.)/जनरल/2026

दिनांक: 15.04.2026

परिपत्र

विषय : संवेदनशील/वर्गीकृत जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण पर सख्त प्रतिबंध

हाल ही में यह देखा गया है कि कंपनी से संबंधित कुछ संवेदनशील और गोपनीय जानकारी, जो कर्मचारियों से प्राप्त मानी जा रही है, स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से फैलाई जा रही है। ऐसे कृत्य शांति अधिनियम, 2025 की धारा 39 में निहित प्रावधानों का घोर उल्लंघन हैं।

सभी कर्मचारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में किसी भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी को किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा न करें। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कंपनी के सीडीए आदेश (CDA Rule) एवं स्थायी आदेश (Standing Order) के प्रावधानों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राकेश कुमार  
15/4/2026

(राकेश कुमार)

उप महाप्रबंधक(कार्मिक एवं औस0)

वितरण :

प्रशासनिक अधिकारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय  
निदेशक(वित्त) के वैयक्तिक सहायक  
भण्डार अधिकारी, निदेशक(तकनीकि) के कार्यालय  
सभी विभागाध्यक्ष

सभी सूचना पट्ट